निर्णय बइजलास श्री अभिषेक चारण आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी मनोहरथाना जिला झालावाड राजस्थान निर्णय दिनांक 24/06/2022

प्रकरण संख्या 31/दावा/19 तारीख दायरा 13.05.2019

ऑनलाइन प्रकरण संख्या 00015/2019

उनवान

1. अमरा पिता कालू जाति लोढा (तंवर) निवासी तलाईबेह तहसील मनोहरथाना —वादी

बनाम

1. अमरलाल पिता गंगाराम जाति लोढा (तंवर) निवासी तलाईबेह तहसील मनोहरथाना
2. काशीराम पिता चम्पा जाति लोढा (तंवर) निवासी तलाईबेह तहसील मनोहरथाना
3. बी.आर.के.जी.बी. शाखा मनोहरथाना जरिये शाखा प्रबन्धक मनोहरथाना जिला झालावाड — प्रतिवादी

वाद धारा 188 आर.टी.एक्ट

निर्णय

उपस्थित वकील वादी —श्री गजेन्द्र नामा दिनांक 24.06.2022

पत्रावली पेश हुई संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 राज0टी0एक्ट के तहत इस आशय का पेश किया कि ग्राम तलाई बेह पटवार हल्का खाताखेडी तहसील मनोहरथाना के माल की खाता संख्या नया 2 पुरानी 2 की खसरा न0 49 की 1 बीघा 1 बिस्वा, 50 की 3 बिस्वा, 51 की 1 बीघा 1 बिस्वा, 52 की 1 बीघा 1 बिस्वा, 53 की 1 बीघा 2 बिस्वा, 134 की 1 बीघा 7 बिस्वा, 141 की 12 बिस्वा, 142 की 15 बिस्वा, 143 की 9 बिस्वा, 144 की 14 बीघा 2 बिस्वा, 147 की 1 बीघा 1 बिस्वा, 148 की 2 बीघा 1 बिस्वा, 179 की 16 बिस्वा, 180 की 1 बीघा आराजी कुल 25 किता की 30 बीघा 19 बिस्वा आराजी वादी एवं प्रतिवादी न0 2 के शामिल खाते में दर्ज है। वर्णित आराजी में से खसरा नम्बर 134 की 1 बीघा 7 बिस्वा आराजी पर प्रतिवादी न0 1 जबरन बलपूर्वक नाजायज रूप से कब्जा कर के उक्त आराजी पर पक्का निर्माण कार्य करने पर आमदा है जिसका की उसको कोई कानूनी हक एवं अधिकार नही है जो बेहैसियत अतिक्रमी एवं बेदखल होने योग्य है। वर्णित आराजी में से खसरा नम्बर 134 की 1 बीघा 17 बिस्वा आराजी पर प्रतिवादी न0 1 द्वारा जबरन पक्का निर्माण कार्य कर लिया गया तो वादी को अपूरणीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार से धन द्वारा सम्भव नही हो सकेगी ओर वादी को व्यर्थ ही मुकदमे बाजी में उलझा रहना पडेगा। इसलिये वादी प्रतिवादी न0 1 के विरूद्ध इस आशय की स्थायी निशेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है। वर्णित आराजी में से खसरा नम्बर 134 की 1 बीघा 7 बिस्वा आराजी पर प्रतिवादी न01 द्वारा दिनांक 02.01.2019 को जबरन कब्जा करने व निर्माण कार्य करने हेतु पत्थर, ईटे, रेत डालकर निर्माण कार्य करने की धमकी देने से वाद हेतु उत्पन्न हुआ है। अतः प्रतिवादी 1 को स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वर्णित आराजी खसरा नम्बर 134 की 1 बीघा 7 बिस्वा आराजी पर जबरन पक्का निमार्ण कार्य ना तो स्वयं करे ना ही अन्य से करवावे यदि दौराने वाद पक्का निमार्ण कार्य कर लिया जावे तो उसे

तुडवाया जावे प्रतिवादी नम्बर 1 को वर्णित आराजी से बेदखल किया जावे। इस आशय बाबत वाद डिकी किया जावे।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया। प्रतिवादी नंम्बर 1 की ओर से वकील श्री कैलाशचन्द द्वारा वकालत नामा प्रस्तुत किया जो शामिल फायल किया गया। वकील प्रतिवादी को समुचित अवसर प्रदान करने के बाद भी जवाब प्रस्तुत नही करने के कारण जवाब प्रतिवादी बन्द किया गया। शेष प्रतिवादी बावजूद सूचना अनुपस्थित होने से इनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल मे लाई गई। वकील वादी की बहस सुनी गई। वकील वादी का कथन है कि ग्राम तलाई बेह पटवार हल्का खाताखेडी तहसील मनोहरथाना के माल की खाता संख्या नया 2 पुरानी 2 की खसरा न0 49 की 1 बीघा 1 बिस्वा, 50 की 3 बिस्वा, 51 की 1 बीघा 1 बिस्वा, 52 की 1 बीघा 1 बिस्वा, 53 की 1 बीघा 2 बिस्वा, 134 की 1 बीघा 7 बिस्वा, 141 की 12 बिस्वा, 142 की 15 बिस्वा, 143 की 9 बिस्वा, 144 की 14 बीघा 2 बिस्वा, 147 की 1 बीघा 1 बिस्वा, 148 की 2 बीघा 1 बिस्वा, 179 की 16 बिस्वा, 180 की 1 बीघा आराजी कुल 25 किता की 30 बीघा 19 बिस्वा आराजी वादी एवं प्रतिवादी न0 2 के शामिल खाते में दर्ज है। वर्णित आराजी में से खसरा नम्बर 134 की 1 बीघा 7 बिस्वा आराजी पर प्रतिवादी न0 1 जबरन बलपूर्वक नाजायज रूप से कब्जा कर के उक्त आराजी पर पक्का निर्माण कार्य करने पर आमदा है जिसका की उसको कोई कानूनी हक एवं अधिकार नही है जो बेहैसियत अतिक्रमी एवं बेदखल होने योग्य है। वाद के प्रमाण मे नकल जमाबन्दी ग्राम तलाई बेह संवत 2070—73 की खाता संख्या नया 2, पुराना 2 पेश किया गया है जिसके अवलोकन से वाद वादी आंशिक डिकी किये जाने योग्य है।

अतः वाद वादी आंशिक डिकी किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम तलाई बेह पटवार हल्का खाताखेडी तहसील मनोहरथाना के माल की खाता संख्या नया 2 पुरानी 2 की खसरा न0 49 की 1 बीघा 1 बिस्वा, 50 की 3 बिस्वा, 51 की 1 बीघा 1 बिस्वा, 52 की 1 बीघा 1 बिस्वा, 53 की 1 बीघा 2 बिस्वा, 134 की 1 बीघा 7 बिस्वा, 141 की 12 बिस्वा, 142 की 15 बिस्वा, 143 की 9 बिस्वा, 144 की 14 बीघा 2 बिस्वा, 147 की 1 बीघा 1 बिस्वा, 148 की 2 बीघा 1 बिस्वा, 179 की 16 बिस्वा, 180 की 1 बीघा आराजी कुल 25 किता की 30 बीघा 19 बिस्वा आराजी मे से खसरा नम्बर 134 की 1 बीघा 7 बिस्वा आराजी पर प्रतिवादी न0 1 को स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि उक्त वर्णित आराजी पर पक्का निर्माण कार्य ना तो स्वयं करे ना अन्य किसी से करवावे। डिकी जारी की जावे।

निर्णय आज दिनांक 24.06.2022 सरे इजलास टंकण करवाया जाकर सुनवाया गया।

(श्री अभिषेक [illegible])
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
मनोहरथाना, जिला झालावाड

कैम्प T:—————/2/—पर

डिक्री मुकद्मात इब्तदाई
(ओ0 20 रूल 6–7 जाप्ता दीवानी)

निर्णय बइजलास श्री अभिषेक चारण आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी मनोहरथाना जिला झालावाड राजस्थान निर्णय दिनांक 24/06/2022

प्रकरण संख्या 31/दावा/19 तारीख दायरा 13.05.2019
ऑनलाइन प्रकरण संख्या 00015/2019

उनवान

1.अमरा पिता कालू जाति लोढा (तंवर) निवासी तलाईबेह तहसील मनोहरथाना

–वादी

बनाम

1 अमरलाल पिता गंगाराम जाति लोढा (तंवर) निवासी तलाईबेह तहसील मनोहरथाना
2 काशीराम पिता चम्पा जाति लोढा (तंवर) निवासी तलाईबेह तहसील मनोहरथाना
3 बी.आर.के.जी.बी. भाखा मनोहरथाना जरिये शाखा प्रबन्धक मनोहरथाना जिला झालावाड

– प्रतिवादी

वाद धारा 188 आर.टी.एक्ट

आज यह मुकद्मा वास्ते इन फिसाल कतई रूबरू मुझ **अभिषेक चारण** (आर0ए0एस0) बहाजरी वकील वादी श्री **गजेन्द्र नामा** मिन जानिब मुद्दालय -------- ने पेश होकर आदेश दिया जाता है कि:–

ग्राम तलाई बेह पटवार हल्का खाताखेडी तहसील मनोहरथाना के माल की खाता संख्या नया 2 पुरानी 2 की खसरा न0 49 की 1 बीघा 1 बिस्वा, 50 की 3 बिस्वा, 51 की 1 बीघा 1 बिस्वा, 52 की 1 बीघा 1 बिस्वा, 53 की 1 बीघा 2 बिस्वा, 134 की 1 बीघा 7 बिस्वा, 141 की 12 बिस्वा, 142 की 15 बिस्वा, 143 की 9 बिस्वा, 144 की 14 बीघा 2 बिस्वा, 147 की 1 बीघा 1 बिस्वा, 148 की 2 बीघा 1 बिस्वा, 179 की 16 बिस्वा, 180 की 1 बीघा आराजी कुल 25 किता की 30 बीघा 19 बिस्वा आराजी मे से खसरा नम्बर 134 की 1 बीघा 7 बिस्वा आराजी पर प्रतिवादी न0 1 को स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि उक्त वर्णित आराजी पर पक्का निर्माण कार्य ना तो स्वयं करे ना अन्य किसी से करवावे।

आज दिनांक 24.06.2022 को हमारे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रांक से जारी कि गई।

(श्री अभिषेक चारण आर0ए0एस0)
उपखण्ड अधिकारी मनोहरथाना

उपखण्ड अधिकारी
मनोहरथाना, जिला झालावाड

कैमरा :---------/2/--पर